FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ जिला चूरू

सन्तलाल बनाम सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 342 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
17/7/21	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी सन्तलाल उर्फ सन्तू पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल नि0 दुबकियाताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं.39 ख0नं0 518/184 तादादी 2.6431 हैक्ट0 वाके रोही दुबकियाताल तहसील राजगढ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम सन्तू भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम सन्तलाल दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 39 ख0नं0 518/184 तादादी 2.6431 हैक्ट0 वाके रोही दुबकियाताल तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सन्तू के स्थान पर सही नाम सन्तलाल शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल ... होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) ... अधिकारी	